

पत्र सं०-ज्वा०कमि०(स०द०)मु०-स०प०/17-18/1718042/18-10-17/930 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक::17 अक्टूबर, 2017

समस्त

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड -1,
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०),
ज्वाइण्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर,
वाणिज्य कर / राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

सचलदल अधिकारियों के द्वारा की जा रही जाँच के सम्बंध में वाणिज्य / राज्य कर मुख्यालय के द्वारा निम्नलिखित परिपत्र जारी किये गये हैं :-

Circular No	Date	SUBJECT
1017	22/07/2017	REGARDING EWAY BILL AND TDF
1102	09/08/2017	REGARDING EWAY BILL AND TDF
1168	16/08/2017	REGARDING ENFORCEMENT OF EWAY BILL
1177	16/08/2017	GENERAL INSTRUCTION
1231	22/08/2017	INSTRUCTION REGARDING E WAY BILL
1405	30/08/2017	INSTRUCTION REGARDING SEIZURE AND PAYMENT

विभिन्न व्यापारिक संघों एवं ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा सचलदल अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। मा० उप मुख्य मंत्री श्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में दिनांक 07-10-2017 को वाणिज्य कर / राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित जी.एस.टी. सम्वाद कार्यक्रम में मा० उप मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि -जी० एस० टी० देश की अर्थव्यवस्था में नई क्रान्ति है जिसमें पंजीकृत व्यापारी का किसी प्रकार से उत्पीड़न न किया जाए। तत्क्रम में सचल दल इकाइयों को जाँच हेतु निम्नलिखित प्रकार से निर्देश दिये जाते हैं :-

1- कोई भी वाहन जाँच के नाम पर दो घण्टे से अधिक के लिये नहीं रोका जाएगा। प्राथमिक जाँच इसी अवधि में पूर्ण की जाएगी। जाँच के नाम पर उत्पीड़न क्षम्य नहीं होगा।

2- परिपत्र संख्या-1177 दिनांक 16-08-2017 के क्रमांक -3 में व्यवस्था दी गई थी कि 'बिना ई-वे बिल 01 के यदि रू० 50,000 के अधिक के माल का परिवहन किया जा रहा है तो ऐसे माल को रोककर उसके लिये ई-वे बिल डाउनलोड कराया जायेगा और यदि व्यापारी द्वारा ई-वे बिल डाउनलोड कर लिया जाता है तो कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की जायेगी।'


वर्तमान में ई-वे बिल डाउनलोडिंग बाधरहित हो चुकी है। अतः परिपत्र संख्या-स०द०-ई वे बिल व्यवस्था-जांच निर्देश-2017-18/ 1177/ वाणिज्य कर दिनांक 16-08-2017 के क्रमांक- 03 के उक्त अंश को विलोपित किया जाता है। अब यदि बिना ई-वे बिल के माल का परिवहन किया जाता हुआ पाया जाये तो विधिक कार्यवाही की जाये।

3- ₹0 50,000/- से कम के माल का परिवहन यदि प्रान्त के बाहर से विहित प्रपत्रों से किया जा रहा है तो टैक्स इन्वाइस की छायाप्रति / द्वितीय प्रति प्राप्त कर ली जाये एवं वाहन को जाने दिया जाये। प्राप्त टैक्स इन्वाइस / बिल आफ सप्लाई की प्रतियों को सुरक्षित रखा जाये एवं विभागीय वेबसाइट पर पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इनकी फीडिंग करायी जायेगी। इसी प्रकार प्रान्त के अन्दर परिवहित माल की जाँच के समय एकत्रित किये गये टैक्स इन्वाइस / बिल आफ सप्लाई की प्रतियों को भी सुरक्षित रखा जाये एवं विभागीय वेबसाइट पर पूर्व में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इनकी फीडिंग करायी जाये।

4- सुपाड़ी, पान मसाला, तम्बाकू प्रोडक्ट आदि सिन गुड्स, कोयला, मेन्था, लोहा के करापवंचन की गहन जाँच करते हुये विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

5- सचलदल अधिकारियों की समीक्षा का मुख्य बिन्दु अपंजीकृत ऑर्गनाइज्ड/करापवंचन को रोक कर उनसे जमा कराये गये अर्थदण्ड के आधार पर किया जाएगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।


17/10/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर / राज्य कर
उत्तर प्रदेश।